हमारी दुनिया – हमारे ग्रह पृथ्वी के आज के हालात

मानव समुदाय को आज एक अभूतपूर्व चुनौती से सामना है

मानव समुदाय के निरन्तर कायम रहने से ज्यादा

इसके नष्ट होने की संभावना अधिक प्रबल है

I

एडम स्मिथ के विचार उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक 'राष्ट्रों की सम्पत्ति' में केवल एकतरफा नजरिए पर ही जोर दिया गया है

झकझोर देने वाली उपर्युक्त प्रमुख पंक्तियां केवल तभी समझ में आ सकती हैं जब निम्न तथ्यों पर गंभीरता से नजर डाली जाए। हमारे नजरिए से यह अभूतपूर्व चुनौती 258 वर्षों से मौजूद कॉरपोरेट दृष्टिकोण, इसकी व्यवस्था एवं कार्यक्रम की उपज है जो पूंजी आधारित बाजार के नेतृत्व में तथा व्यक्तिवादी या निजी स्वार्थ पर टिकी है। और यह कारपोरेट दृष्टिकोण, इसकी व्यवस्था एवं कार्यक्रम स्वयं भी दुनिया के प्रसिद्ध दार्शनिक एडम स्मिथ के विचारों की मूल थिसिस जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'राष्टों की सम्पत्ति' में दर्ज है जिसमें उन्होंने निम्न बुनियादी प्रस्तावनाएं रखी हैं; कि ''मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है'', ''समाज का आधार ही पूंजी है'' एवं बाजार पूंजी के उद्देश्य को सुनिश्चित करता है अथवा पूंजी को निर्धारित करने वाला कारक है।

फिर भी, निम्नलिखित तथ्य यह दर्शाते हैं कि उपर्युक्त वर्णित एडम स्मिथ का सम्पूर्ण नजरिया एकतरफा है।

प्रथम, इसका मानना यह है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, केवल मात्र एकतरफा नजरिया है। यद्यपि वास्तव में मनुष्य का दो तरफा चरित्र है: एक तरफ जैविक चरित्र है तथा दूसरी तरफ सामाजिक। जैविक पहलू उसके व्यक्तिगत भौतिक जीवन को प्रतिबिम्बित करता है जबकि सामाजिक पहलू उसके सामाजिक जीवन, क्रियाकलाप एवं संगठन को दर्शाता है जिसे दुनिया के विभिन्न प्रकार के संविधानों, संयुक्त राष्ट्र एवं इसकी वित्तीय संस्थाओं, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन आदि में मौजूद है।

दूसरा, इसका यह मानना कि मानव समाज का आधार पूंजी है या मानव समाज पूंजी पर आधारित है, यह धारणा मूल रूप में ही गलत है। वास्तव में पूंजी केवल धन या मुद्रा के रूप में है। मनुष्य समाज या मानव मात्र को स्वयं को जिन्दा रखने के लिए हमेशा और हर कहीं माकूल पर्यावरण तथा भरण-पोषण के उचित हालात की आवश्यकता है, वह कैसे कागज और धातु से बने धन या मुद्रा से अपने जीवन को कायम रख सकता है।

तीसरा, इसका यह मानना है कि बाजार पूंजी के उद्देश्य को सुनिश्चित करता है अथवा पूंजी को निर्धारित करने वाला बेरोमीटर या कारक है, स्पष्टतया यह धारणा एक पूंजीवादी औजार या तकनीक है जो पूंजी व पूंजी के मालिकों को बढ़ावा देती है तथा धन व सम्पत्ति के सन्दर्भ में लोगों के हितों को नुकसान पहुंचाती है। यह विशेष तौर पर बाजार संकट के समय ही होता है जिसे न्यूयार्क वॉल स्ट्रीट मार्केट (दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट) के चल रहे संकट से समझा जा सकता है, यहां के सारे संकट इस बात को दर्शाते हैं कि विशाल धन अद्वितीय रूप से दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से विकसित होने की तैयारी में है जबकि साधारण शेयर धारक बुरी तरह से दिवालियेपन की तरफ धकेला जा रहा है।

एडम स्मिथवादी (कारपोरेट पूंजीवादी) सिद्धान्त एवं इसकी व्यवस्था की कारगुजारी के पिछले 258 वर्ष के लम्बे काल पर नजर डालें तो यह साफ-साफ कहा जा सकता है कि जहां एक ओर सभी वैज्ञानिक व सामाजिक क्षेत्रों में इसका

काफी योगदान है जो इसका सकारात्मक पक्ष बनता है, जबकि दूसरी ओर अत्यधिक खतरनाक चुनौतियां मुख्य तौर पर पर्यावरण एवं मनुष्य जाति के अस्तित्व को खतरा पैदा करना इसका नकारात्मक पक्ष बनता है।

हमारे नजरिए में यहां यह उचित और प्रासंगिक होगा कि तीन बुनियादी नियमों वाले एडम स्मिथवादी सिद्धान्त के सम्बन्ध में मार्क्सवादी सोच क्या है इस पर गंभीरता से और नजदीकी से नजर डालें। यद्यपि मार्क्सवादी (साम्यवादी) सिद्धान्त दुनिया में कारगर नहीं रहा है फिर भी सामाजिक अध्ययन के लिए इसका अनुभव उपयोगी हो सकता है। मनुष्य के स्वभाव के प्रश्न पर मार्क्सवादी सिद्धान्त एक भ्रमित सोच रखता है, पहला, यह इस बात पर जोर देता है कि मानव जाति का चरित्र सामाजिक है। अगले ही पल इसके सामाजिक होने के गुणों को यह औद्योगिक सर्वहारा (इसके अनुसार जो मानव जाति को स्वतंत्रता के गन्तव्य की ओर ले जाने वाला है) में निहित कर देता है तथा अन्तिम तौर पर इस सामाजिक चरित्र के समस्त सामाजिक एकाधिकार को कम्युनिस्ट पार्टी को सौंप देता है। इसकी मान्यता के अनुसार केवल मात्र कम्युनिस्ट पार्टी में ही वह क्षमता है जो मानव समाज में सामाजिक परिवर्तन ला सकती है और अन्ततोगत्वा यह एक व्यक्ति, यानि कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव में सारी सत्ता केन्द्रित कर देता है और जो मृत्युपरान्त अपनी जिन्दगी में अधिनायक (डिक्टेटर) बना रहता है।

मार्क्स के अनुसार पूंजी श्रम का अतिरिक्त मूल्य है यानि काम के दौरान उनको मिलने वाली मजदूरी से अधिक पैदा किया गया अतिरिक्त मूल्य ही पूंजी है या दूसरे शब्दों में निर्धारित समय-काल के दौरान अपनी मजदूरी से जो अधिक मूल्य पैदा करता है और जिसे पूंजीपति हड़प कर लेता है वही पूंजी है। और इस प्रकार यह भी धन को ही पूंजी मानता है।

मार्क्स की मान्यता के अनुसार उत्पादन के साधनों का समाजीकरण या राष्ट्रीयकरण करना ही समाज का उद्देश्य है। मार्क्सवादी सिद्धान्त का यह मानना है कि एक ही पार्टी द्वारा संचालित राज्य नाम की एकमात्र संस्था ही सभी आर्थिक/बाजार की गतिविधियों– जिसमें उत्पादन, वितरण, कीमतों का निर्धारिण करना शामिल है– के बारे में लाभदायक और उचित निर्णय ले सकती है। यह साम्यवादी पार्टी के राजनीतिज्ञों एवं अफसरशाहों के हाथ में विकास की सम्पूर्ण सत्ता केन्द्रित करती है। जहां एक ओर यह आर्थिक समानता को थामे रखने का दावा करती है वहीं यह दूसरी ओर कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ-साथ सरकारी नौकरशाही और मजदूर अभिजात वर्ग को विशेष अधिकार देती है।

मार्क्सवादी सिद्धान्त और इसकी व्यवस्था के 75 वर्ष से अधिक समय पर नजर डाली जाए तो यह कहा जा सकता है कि इसके सकारात्मक पक्ष के तौर पर बहुत सी उपयोगी और लाभदायक उपलब्धियां रही हैं जबकि नकारात्मक पक्ष के तौर पर बहुत सी गंभीर असफलताएं रही हैं जिन्होंने मानव विकास और कल्याण के दायरे में एडम स्मिथवादी (कारपोरेट पूंजीवादी) सिद्धान्त और उसकी व्यवस्था से प्रतियोगिता में इसे पिछड़ने की ओर धकेल दिया है।

II

कारपोरेट व्यवस्था के प्रमुख नेताओं द्वारा बुलाए गए विश्व सम्मेलनों के प्रस्तावों की पालना नगण्य साबित हुई है

मार्क्सवादी सिद्धान्त को दरकिनार रखते हुए तथा मौजूदा विश्व कारपोरेट के भ्रामक व्यवहार यानि, कहना कुछ और करना कुछ के व्यवहार को पुन: ध्यान में रखते हुए आओ हम हाल ही में कारपोरेट व्यवस्था के प्रमुख नेताओं द्वारा बुलाए गए विश्व सम्मेलनों की शृंखलाओं पर नजर डालें।

पिछले चार दशकों में सन्निकट पर्यावरणीय महाविपत्तियों से मुकाबला करने के लिए कार्यशील रणनीतियां बनाने हेतु टिकाऊ विकास पर कई उच्च स्तरीय सम्मेलन हुए परन्तु आज तक इन सम्मेलनों के प्रस्तावों के असर जीरो साबित हुए

हैं। स्टाकहोम सम्मेलन 1972 के शुरूआती सम्मेलन के बाद हेलसिंकी (1989), लन्दन (1992), रियो सम्मेलन (1992), क्योटो सम्मेलन (1997), टिकाऊ विकास पर विश्व सम्मेलन, जोहान्सबर्ग (2002), सन् 2004 और 2005 में स्टाकहोम, मान्ट्रियल और बर्लिन में सभाएं/सम्मेलन तथा सन् 2007 में बाली सम्मेलन हुए हैं। इन सभी सम्मेलनों ने कोई फलदायक योगदान नहीं दिया है।

1960 के दशक के अन्तिम हिस्से में जनसंख्या वृद्धि की समस्या के बारे में दुनिया सचेत हुई तब से जनसंख्या पर तीन अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन–बुखारेस्ट 1974, मैक्सिको 1984 तथा केयरो 1994– हो चुके हैं। प्रथम सम्मेलन में जनसंख्या नियंत्रण के लिए विकास यानि महिला शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा की भूमिका पर ध्यान केन्द्रित किया गया तथा सामाजिक पहलू को द्वितीय स्थान पर धकेल दिया गया। दूसरे सम्मेलन में शांति, सुरक्षा और पर्यावरण के हित में आर्थिक पहलू तथा भूखमरी समाप्त करने के पहलू को केन्द्रीय बिन्दु बनाया गया, पुन: सामाजिक क्षेत्र पर कम जोर डाला गया।

केयरो सम्मेलन ने कुछ सामाजिक मुद्दों को अपनी रणनीति का आधार बनाने पर जोर दिया परन्तु सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के मुद्दे को छोड़ ही दिया। इस सम्मेलन में निम्न बिन्दुओं पर अधिक जोर दिया गया–

1. महिला सशक्तिकरण, लिंग समानता या समान पारिवारिक साझेदारी (टकराहट नहीं), प्रजनन अधिकार, जच्चा-बच्चा की मृत्यु दर कम करना, शादी की उम्र बढ़ाना, दो बच्चों के बीच जन्म अन्तराल बढ़ाना आदि उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए महिला को जनसंख्या नीति में महत्वपूर्ण घटक माना जाए।

2. 20 वर्षों में सबको प्राथमिक शिक्षा, विशेष तौर पर लड़कियों को।

3. परिवार नियोजन, उसकी सूचना और सेवाएं सबको उपलब्ध करवाना।

4. प्रजनन क्षमता कम करने की धारणा, गरीबी की अवस्था में भी इसे कम करना।

5. भ्रूण हत्या के वाद-विवाद से उभरी परम्परागत धार्मिक मतान्धताओं की गैर उपयोगिता की समझ बढ़ाना।

6. उत्तर और दक्षिण के बीच विश्व संसाधनों के बंटवारे पर बातचीत की आवश्यकता पर जोर देना, जिनका अभी पश्चिमी विकास मॉडल और उसकी जीवन शैली द्वारा अति उपयोग और बर्बाद किया जा रहा है।

तथ्य दर्शाते हैं कि उक्त सम्मेलनों द्वारा प्रस्तावित बड़बोली क्रियाशील योजनाओं तथा दुनिया भर में विभिन्न सरकारों द्वारा उनकी क्रियान्विति के बावजूद जनसंख्या की समस्या के हालात बद से बदत्तर हुए हैं। दुनिया भर में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां जनसंख्या वृद्धि रुकने या जनसंख्या वृद्धि रोकने की प्रक्रिया में कोई राहत का ईशारा मिलता हो।

विश्व में कृषि आम तौर पर बहुआयामी संकट से घिरी हुई है जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा प्रसारित मई, 2005 की रिपोर्ट में देखा जा सकता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भूखमरी को कम करने के लिए 1996 में विश्व खाद्य सम्मेलन द्वारा सन् 2015 को अन्तिम तिथि के तौर पर निर्धारित किया गया था। इस निर्धारित समयावधि के आधी बीत जाने तक संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य व कृषि संगठन ने तब तक की गई प्रगति को असंतोषजनक बताया है। विश्व खाद्य सम्मेलन द्वारा 1996 में उक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया था तथा सहस्राब्दी विकास सम्मेलन (एमडीएस-2000) में इसकी पुष्टि की गई थी। ''यह हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यदि वर्तमान रुझान जारी रहता है तो सन् 2015 तक कुपोषित लोगों की संख्या आधी करने का लक्ष्य निरन्तर दूर होते जाने के कारण उसे हासिल करना लगभग असंभव होगा।''

नवम्बर 1996 में रोम में एफ ए ओ द्वारा बुलाये गये विश्व सम्मेलन में यह प्रतिबद्धता प्रकट की गई थी कि सभी लोगों को विश्व खाद्य सुरक्षा तथा सुरक्षित एवं पोषण योग्य भोजन उपलब्ध करवा दिया जायेगा। इसमें यह घोषणा की गई

कि दुनिया भर में भूखमरी को उखाड़ फेंका जायेगा तथा सन् 2015 तक भूखे लोगों की संख्या आधी कर दी जायेगी। फिर भी सन् 1996 में विश्व खाद्य सम्मेलन द्वारा जो उपर्युक्त लक्ष्य तय किया गया तथा जिसे पुन: 2001 के विश्व खाद्य सम्मेलन में दोहराया गया उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कारपोरेट शासकों और व्यापारिक घरानों के बीच इस लक्ष्य की उपयोगिता और लाभदायकता पर गंभीर मतभेदों के कारण इसे प्राप्त करना संभव नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र मानव विकास रिपोर्ट (यू एन एच डी आर) 2003 के अनुसार अमीर और गरीब के बीच व उच्च एवं निम्न के बीच विषमता का रुझान बढ़ता जा रहा है या किसी भी आकार में कम होने के कोई चिह्न नजर नहीं आते हैं।

यूएनएचडीआर-2002 की रिपोर्ट बतलाती है कि दुनिया के 1% सबसे धनी लोगों की आय दुनिया के 75% गरीबों की आय के बराबर है।

यूएनएचडीआर-2001 में उल्लेख है कि दुनिया के विकासशील देशों के 4.6 अरब लोगों में से 85 करोड़ लोग अनपढ़ हैं, करीब 1 अरब लोगों को मल निकास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

यूएनएचडीआर-1999 की रिपोर्ट का कहना है कि 1990 के दशक के आखिर तक दुनिया में अधिकतम आय प्राप्त करने वाले देशों में रहने वाले लोगों का 1/5 हिस्सा दुनिया की जीडीपी (सकल घरेलू आय) का 86% प्राप्त करता है जबकि निम्नतम 1/5 हिस्सा मात्र 1% प्राप्त करता है तथा आज की बुनियादी संचार सुविधा (टेलीफोन लाइन) का 74% अमीरों को प्राप्त है और निम्नतम 1/5 हिस्से के लोगों को 1.5% संचार सुविधा उपलब्ध है।

यूएनएचडीआर-1996 रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में निम्नतम विकसित 48 देशों की सकल घरेलू आय (जीडीपी) दुनिया के मात्र तीन सबसे अमीर लोगों की सम्पदा के बराबर है।

चल रहे मौजूदा संकट के मानवीय पहलू पर नजर डाली जाए तो आर्थिक वृद्धि से सम्बन्धित कारपोरेट ग्लोबल संस्थाओं के समर्थक, यानि, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन भी मौजूदा कारपोरेट विकास मॉडल के गैर टिकाऊ होने पर जोर दे रहे हैं, यह मॉडल खत्म न होने वाली मुश्किलों–जैसे, असमानता, गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक अन्याय आदि–से ग्रसित है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई एल ओ)-2003 की रिपोर्ट दर्शाती है कि विश्व में बेरोजगारी सन् 2003 में निरन्तर अनवरत ऊंचाई की तरफ बढ़ती गई। सन् 2003 के दौरान पुरुष और महिलाओं में बेरोजगारी 18 करोड़ 50 लाख (यानि कुल श्रम शक्ति का 6.2%) के रिकार्ड स्तर तक पहुंच गई। यह आंकड़ा दर्ज रिकार्ड में सबसे अधिक रहा है जबकि 2003 के उत्तरार्ध की आर्थिकता में सुधार हो गया था। इस दौरान नौजवानों में यह बेरोजगारी तेजी से बढ़ी। दुनिया के बेरोजगार लोगों में 10 करोड़ 81 लाख पुरुष तथा 7 करोड़ 78 लाख महिलाएं बेरोजगार थी।

युवाओं में विश्व बेरोजगारी रुझान पर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने नये विश्लेषण के साथ सन् 2004 की रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे इसके बेरोजगारी रणनीतिक विभाग ने तैयार किया है। इस रिपोर्ट का कहना है कि 15 से 24 वर्ष की आयु के बीच आने वाले नौजवान दुनिया के कुल बेरोजगारों के आधे हैं। वास्तव में दुनिया भर में पिछले दशक में युवाओं के बीच बेरोजगारी आसमान छूने लगी है जिनकी संख्या 8 करोड़ 80 लाख हो गई है।

मानव विकास रिपोर्ट 2007/2008

मौसम परिवर्तन से मुकाबला : विभाजित विश्व में मानवीय एकजुटता

21वीं सदी की मानव विकास चुनौती में मौसम परिवर्तन की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को सही

जवाब देने में असफलता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी कम करने के प्रयासों को न केवल रोक देगी बल्कि गरीबी बढ़ाने की तरफ ले जायेगी। मौसम परिवर्तन के कारण सबसे गरीब देशों तथा अत्यधिक कमजोर नागरिकों को यह सबसे अधिक पीड़ा पहुंचायेगी और उनके लिए अत्यधिक नुकसानदायक होगी। यद्यपि इस समस्या को पैदा करने में इनका (गरीबों का) नगण्य योगदान है। भविष्य पर नजर डाली जाए तो कोई भी देश चाहे वह अमीर है या ताकतवर, ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक गर्मी) के प्रभाव से अछूता नहीं रह पायेगा।

सन् 2007/2008 की मानव विकास रिपोर्ट दर्शाती है कि मौसम परिवर्तन की चुनौती कोई निकट भविष्य की चुनौती नहीं है (बल्कि मौजूदा समस्या है)। सूखा, बाढ़ और तूफ़ानों में बढ़ोतरी पहले से ही लोगों के सुअवसरों को नष्ट कर रहे हैं तथा असमानता और मजबूत होती जा रही है। इसी दौरान, दुनिया ऐसे बिन्दु (दहलीज) की ओर बढ़ रही है जहां से पारिस्थितिकी की विनाश लीला से बचना और इसे वापिस मोड़ देना असंभव हो जायेगा, इस तथ्य के बहुत से वैज्ञानिक साक्ष्य अब मौजूद हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मौसम परिवर्तन एक साफ दिशा की ओर इंगित कर रहा है : हमारे ही जीवन काल में मानव विकास अद्वितीय स्तर से पिछड़ जायेगा तथा हमारे बेटों-पोतों के लिए गंभीरतम जोखिम पैदा हो जायेगा।

अत्यधिक नुकसानदायक मौसम परिवर्तन के प्रभावों से बचने के अवसर के लिए एक खिड़की है परन्तु वह खिड़की बन्द होने जा रही है : इस प्रवाह को बदलने के लिए दुनिया के पास एक दशक से भी कम समय है। कोई कार्यवाही करो या ना करो, आने वाले वर्षों में मानव विकास के भविष्य की राह में गहरी मुश्किलों का सामना करना होगा। कार्यवाही करने के लिए दुनिया में न तो वित्तीय संसाधनों की कमी है और ना ही तकनीकी क्षमताओं की कमी है। कमी है तो तात्कालिक कार्यवाही करने, मानवीय एकजुटता कायम करने तथा सामूहिक हितों को प्रधानता पर लाने की संवेदना की कमी है।

सन् 2007/2008 मानव विकास रिपोर्ट के विश्लेषण के अनुसार मौसम परिवर्तन बहुत सारे स्तरों पर चुनौती प्रस्तुत करता है। एक विभाजित परन्तु पारिस्थितिक तौर पर अन्तरनिर्भर दुनिया में मौसम परिवर्तन सभी लोगों को चुनौती देता है कि इसका सही प्रत्युत्तर कैसे दिया जाए और एक चीज जो हमारी सबकी साझी है वह है हमारा ग्रह–पृथ्वी, उसके पर्यावरण का सही प्रबंध हम कैसे करें? यह हमारे सामने चुनौती प्रस्तुत करता है कि देशों और पीढियों के बीच सामाजिक न्याय और मानव अधिकार के सम्बन्ध में हम सही उत्तर कैसे दें? यह अमीर देशों और उनके लोगों के सामने चुनौती प्रस्तुत करता है कि वे इस समस्या को हल करने की अपनी ऐतिहासिक जिम्मेवारी को महसूस करें तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जल्दी से जल्दी तथा अधिक से अधिक कटौती करने की पहल करें। इस सबके अलावा यह सम्पूर्ण मानव समुदाय को चुनौती प्रस्तुत करता है कि साझे मूल्यों और साझे दृष्टिकोण के तहत तुरन्त और मजबूत सामूहिक कदम उठाएं।

सन् 2007/2008 मानव विकास रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब लम्बे समय से अन्तर्राष्ट्रीय एजेण्डे पर चल रहे मौसम परिवर्तन के मुद्दे ने अत्यधिक ध्यान खींचने की शुरूआत की है जिसको इसकी जरूरत है। हाल ही में प्रस्तुत आई पी सी सी रिपोर्ट के निष्कर्षों में जोरशोर से यह उद्घोषणा की है और यह साफ-साफ पुष्ट किया है कि हमारा मौसम चक्र गर्म हो गया है तथा सीधे तौर पर यह मानव गतिविधियों का ही परिणाम है।

इन परिवर्तनों का प्रभाव पहले से ही बहुत गहरा है और अब तो यह ओर अधिक बढ़ता जा रहा है। इस साल की यह रिपोर्ट जो कुछ सारा दाव पर लगा है उसकी गंभीरता से याद दिलाती है : मौसम परिवर्तन एक जुड़वां विनाश के खतरे को पेश करता है, दुनिया के गरीबों के लिए मानव विकास में तुरन्त आघात पहुंचायेगा और इसके उत्तरोत्तर सारे मानव समुदाय के लिए दीर्घकालीन गंभीर खतरे को पैदा कर देगा। बार-बार होने वाली इन विनाश लीलाओं को हमने पहले से ही देखना शुरू कर दिया है। जैसे-जैसे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है तथा उष्ण कटिबंधीय तूफानों में तीव्रता आती जा रही है, वैसे-

वैसे लाखों लोगों को विस्थापन की स्थिति झेलनी पड़ रही है। हमारे ग्रह पृथ्वी पर कुछ अत्यधिक कमजोर शुष्क इलाके के निवासियों को अधिक जल्दी-जल्दी और लम्बे समय तक चलने वाले सूखे की पीड़ा से गुजरना पड़ रहा है। जैसे-जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं जलापूर्ति की स्थिति जोखिम के कगार पर पहुंचती जा रही है। यह तेजी से बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के गरीबों पर अमीरों की तुलना में असमान रूप से असर डाल रही है तथा मिलेनियम विकास लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा खड़ी कर रही है। तथापि, दीर्घकालीन तौर पर अमीर या गरीब कोई भी मौसम परिवर्तन द्वारा पैदा किये जा रहे खतरे से बच नहीं पायेगा। मौसम परिवर्तन की जिस स्थिति ने आज हमें जिस हाल में ला दिया है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस चुनौती के सम्बन्ध में जो कुछ भी हम आज करेंगे उससे यह तय होगा कि जिस युग में हम जी रहे हैं वह कौनसा रास्ता अख्तियार करेगा। मैं यह भी विश्वास करता हूँ कि मौसम परिवर्तन वैश्विक चुनौती की ही एक किस्म है, और संयुक्त राष्ट्र संघ ही इस चुनौती से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त संस्था है। और इसलिए ही मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के साथ इसको मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता पर लिया है ताकि संयुक्त राष्ट्र संघ इस मामले में अपनी पूर्ण भूमिका निभाना सुनिश्चित कर सके। मौसम परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए दो मोर्चों पर कार्य करने की आवश्यकता है। पहला, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के वास्ते दुनिया को तुरन्त क्रियान्विति के कदम उठाने की आवश्यकता है। औद्योगिक देशों को इन गैसों के उत्सर्जन को भारी मात्रा में कम करने की आवश्यकता है। उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे विकासशील देशों के साथ और अधिक सहयोग करें, साथ ही साथ गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें और इस पर भी ध्यान दें कि उनकी आर्थिक वृद्धि दर तथा गरीबी उन्मूलन के प्रयास भी सुरक्षित रहें। दूसरा, वैश्विक आवश्यकताओं के अनुसार ढल जाओ, बहुत से देश, विशेष तौर पर अत्यधिक कमजोर विकासशील देशों को आवश्यकता के अनुसार अपने ढलने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायता की आवश्यकता है। मौसम परिवर्तन से निपटने के लिए नई तकनीक को पैदा करने और वर्तमान नवीनीकरण तकनीक को आर्थिक तौर पर सस्ता करने तथा उसे तेजी से विस्तारित करने हेतु बड़े स्तर पर प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। मौसम परिवर्तन सम्पूर्ण मानव परिवार के लिए खतरा है, तथापि यह हमें एकजुट होने तथा वैश्विक समस्या को सामूहिक तौर पर प्रत्युत्तर देने का अवसर प्रदान करता है। मुझे यह आशा है कि इस चुनौती का सामना करने के लिए हम एकजुट हो जायेंगे, और आने वाली पीढियों के लिए एक बेहतर दुनिया छोड़ेंगे।

बान की मून
महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ

मानव विकास रिपोर्ट, 2006

अभावरहित : ऊर्जा, गरीबी तथा वैश्विक जल संकट

सम्पूर्ण इतिहास में मानवता के समक्ष कुछ महानतम चुनौतियों में से जल समस्या एक चुनौती रही है। जल जीने के लिए एक संसाधन है और हमारे पर्यावरण को टिकाऊ बनाए रखने का एक प्राकृतिक संसाधन है तथा हमारे भरण-पोषण में मददगार है, परन्तु यह जोखिम और अतिसंवेदनशील संसाधन भी है। 21वीं शताब्दी के शुरू में मानव विकास की संभावनाएं गहराते वैश्विक जल संकट से खतरे में पड़ गई है। जल के अभाव के कारण जल संकट होने की झूठी धारणा का पर्दाफाश करते हुए यह रिपोर्ट तर्क देती है कि गरीबी, ऊर्जा और असमानता ही जल संकट की समस्या का मुख्य कारण है।

अनाप-सनाप दौलत वाली दुनिया में करीब-करीब बीस लाख बच्चे साफ पानी तथा पर्याप्त मल-मूत्र निकास की व्यवस्था के अभाव में प्रति वर्ष मर जाते हैं। लाखों स्त्रियां और नौजवान लड़कियां घंटों पानी इकट्ठा करने और उसे ढोने के लिए बाध्य है जिससे उनके अवसर और पसंदें क्रियान्वित होने से बाधित होती है। दुनिया के अत्यधिक गरीब देशों में से

कुछ देशों में पानी से सम्बन्धित छूत की बिमारियों ने गरीबी कम करने और आर्थिक वृद्धि दर को आगे बढ़ने से रोक रखा है।

घरों के अलावा उत्पादन के संसाधन के तौर पर पानी प्राप्त करने की प्रतियोगिता भी तीव्रतर हो गई है। इस प्रतियोगिता के लक्षण के तौर पर जल आधारित पारिस्थितिकी व्यवस्था का नष्ट होना, नदियों के जल बहाव में कमी आना तथा भूमिगत जल का भारी मात्रा में कम हो जाना शामिल है। देशों के अन्दर जल संघर्ष तीव्र हो रहा है और पानी की पहुंच से गांव के गरीब लोग दूर धकेले जा रहे हैं। देशों के बीच में तनाव की संभावना भी बढ़ रही है, यद्यपि आपसी सहयोग के जरिए मानव विकास प्राप्ति की अन्त:शक्ति भारी मात्रा में मौजूद है।

मानव विकास रिपोर्ट मानवता के सामने कुछ चुनौतियां, जो अत्यधिक दबाव डाल रही हैं, के बारे में लगातार वाद-विवाद करने के बिन्दु सामने रख रही है। मानव विकास रिपोर्ट-2006

* 1 अरब 20 करोड़ लोगों को साफ पानी प्राप्त करने तथा 2 अरब 60 करोड़ लोगों को मल-मूत्र निकासी की सुविधा से वंचित करने वाले संकट के कारणों और प्रभावों की जांच करती है।

* सब लोगों तक पानी और मल-मूत्र निकासी की सुविधा पहुंचे इसके लिए राष्ट्रीय रणनीतियों एवं क्रियान्विति की वैश्विक योजनाओं के जरिए सम्मिलित मुहिम चलाए जाने की पैरवी करती है।

* पानी की कमी की ओर धकेलने तथा कृषि में गरीबों को हासिये पर पहुंचाने वाली सामाजिक एवं आर्थिक ताकतों की जांच-पड़ताल करती है।

* जल प्रबंध के लिए देशों में सीमा के आर-पार तनावों को हल करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के अवसरों को देखती है।

* इस क्षेत्र में गोर्डन ब्राउन तथा नगोजी ओकुन्जो इवेला, राष्ट्रपति लूला, राष्ट्रपति कार्टर तथा भूतपूर्व महासचिव (यू एन) कोफी अन्नान के विशेष योगदान शामिल करती है।

मानव विकास रिपोर्ट, 2005

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग संकटपूर्ण स्थिति में : एक असमान दुनिया में सहायता, व्यापार एवं सुरक्षा

मानव विकास रिपोर्ट 2005 ने मानव विकास के बारे में लेखा-जोखा किया है जिसमें सहस्राब्दी विकास लक्ष्य की प्रगति पर किया गया लेखा-जोखा भी शामिल है। आंकड़ों के अलावा नजर डाली जाए : इस रिपोर्ट ने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न करने तथा प्राप्त करने के लिए किये गये वादों को भंग करने की वजह से जो मानवीय कीमत अदा करनी पड़ी है उसे उजागर किया है। मानव-विकास तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों की तरफ तेजी से प्रगति कर रहे कदमों को ताकतवर रुकावट के तौर पर देशों में और देशों के बीच हद दर्जे की असमानता को मुख्य बाधा के रूप में चिह्नित किया है।

यह रिपोर्ट सुझाव देती है कि दुनिया की सरकारों के सामने विकल्प उपलब्ध हैं। वे वित्तीय संसाधनों, तकनीक तथा गरीबी समाप्त करने की क्षमता के जरिए विकास करने का दशक शुरू कर सकते हैं या हम मानव विकास में असफलता हासिल कर सकते हैं। 'जैसा चल रहा है' वह क्रियाकलाप हमें सन् 2000 में किये गए वायदों और प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की इजाजत नहीं देंगे। इस असफलता की कीमत मानव की जिन्दगी, बढ़ती असमानता, मानवाधिकारों के उल्लंघन तथा शान्ति के खतरे के रूप में नापा जा सकता है।

गरीबी के विरुद्ध युद्ध में अन्तर्राष्ट्रीय सहायता सबसे अधिक प्रभावी हथियारों में से एक है, लेकिन इस सहायता को

नये तरीके और नई शक्ल की आवश्यकता है। इसको निवेश के साथ-साथ नैतिक दायित्व के रूप में सोचा जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में प्रभावी मदद के लिए तीन शर्तें हैं–(1) पर्याप्त मात्रा में मदद, (2) उत्तम गुणवत्ता (कम विनिमय लागत के साथ धन के आधार पर पूर्व अनुमानित मूल्य पर मुहैया करना) तथा उस पर (3) देश का स्वामित्व। इनमें से किसी भी क्षेत्र में असफलता भविष्य की प्रगति के आधार को कमजोर करेगा। 2005 रिपोर्ट प्रस्तुत करती है : (4) अन्तर्राष्ट्रीय विकास सहायता का सम्पूर्णता में अवलोकन किया जाए तथा इसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों को देखा जाए। (5) व्यापार वार्ता के लिए दोहा विकास दौर की प्रगति पर आलोचनात्मक अवलोकन किया जाए और इस बात को उजागर किया जाए कि अनुचित व्यापार नियम असमानता को और मजबूत करते हैं, तथा (6) हिंसक संघर्षों में मानव विकास के लिए कितनी कीमत अदा करनी पड़ी है उसकी साक्ष्य इस रिपोर्ट में है तथा संघर्षों की रोकथाम की रणनीति का अवलोकन भी इस रिपोर्ट में है।

यू एन ई पी रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यू एन ई पी) 2005 की वार्षिक रिपोर्ट में संगठनात्मक कार्य तथा वर्ष भर की उपलब्धियों पर नजर डाली गई है। पर्यावरण, जिससे भविष्य सुरक्षित रखा जा सके तथा 'प्राकृतिक पूंजी का बचाव' के शीर्षक के तहत इस रिपोर्ट ने एक वर्ष में टिकाऊ विकास के लिए यूएनईपी का योगदान पर अवलोकन किया है। इसमें दुनिया के नेताओं ने विकास के लिए पर्यावरण को केन्द्र बिन्दु होने की पुन: पुष्टि की है तथा सहस्राब्दी पारिस्थितिकी आकलन यह प्रकट करता है कि वैश्विक पर्यावरण का स्तर गिरा है।

यू एन ई पी की गतिविधियों का यह संक्षिप्त विवरण 2007 में एक वर्ष में मौसम परिवर्तन के विरुद्ध संघर्ष में संगठनों ने क्या योगदान दिया है इसका अवलोकन किया है। जिसमें पर्याप्त साक्ष्य से यह स्थापित है कि वैश्विक गर्मी हमारे इस युग की प्रथम चुनौती है। यू एन ई पी द्वारा की गई विस्तृत दायरे की अन्य गतिविधियों पर भी नजर डाली है। जिसके अनुसार आदेशात्मक रूप में कहा गया है कि पर्यावरणीय नेतृत्व तथा टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2007–एक सुरक्षित भविष्य

जन स्वास्थ्य के इतिहास में वैश्विक जन स्वास्थ्य सुरक्षा एक बदलाव के बिन्दु पर खड़ी है, तथा यह इंगित करती है कि आने वाली अर्द्ध शताब्दी में स्वास्थ्य सुरक्षा के मामले में अत्यधिक बढ़ावे के लिए कोई क्या कर सकता है? यह रिपोर्ट दर्शाती है कि किस प्रकार दुनिया बिमारी फैलने, महामारी, औद्योगिक दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदायें तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधित आपातकालीन खतरे बढ़ रहे हैं और यह स्थिति तेजी से विश्व जन स्वास्थ्य सुरक्षा को खतरा पैदा कर सकती है। यह रिपोर्ट वर्णन करती है कि किस प्रकार संशोधित अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रेगुलेशन-2005, जो इस वर्ष ही प्रभावशील हुए हैं, देशों को जोखिम चिह्नित करने तथा इन्हें रोकने व नियंत्रित करने व साथ-साथ काम करने के लिए मदद करती है। इन रेगुलेशन्स की इसलिए जरूरत है, क्योंकि कोई भी एक देश, चाहे वह कितना भी क्षमतावान या धनाढ्य क्यों न हो, अन्य देशों की सहायता के बिना बिमारी फैलने तथा अन्य संकटों से स्वयं बचाव नहीं कर सकता। इस रिपोर्ट का कहना है कि सुरक्षित भविष्य की संभावना हमारी पहुंच के अन्दर है–तथा यह एक सामूहिक आकांक्षा एवं एक आपसी जिम्मेवारी दोनों ही है।

विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2006

स्वास्थ्य के लिए साथ-साथ काम किया जाए

इस रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य कार्य शक्ति में जो मौजूदा संकट है उसके बारे में विशेषज्ञों का आकलन दर्ज है तथा आगे

के दस सालों में इस समस्या से निपटने के लिए महत्वाकांक्षी प्रस्ताव दर्ज हैं जिनके लिए तुरन्त कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। इस रिपोर्ट में यह आकलन किया गया है कि करीब 43 लाख डॉक्टरों, दाइयों, नर्सों एवं सहायक कर्मचारियों की दुनिया भर में कमी है। यह कमी गरीब देशों में अत्यधिक गंभीर है, विशेष तौर पर सब-सहारा अफ्रीका में, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों की बहुत अधिक आवश्यकता है। स्वास्थ्य कर्मचारियों के भर्ती होने से लेकर, स्वास्थ्य प्रशिक्षण से सेवानिवृत्ति तक, पूरे सेवाकाल के सभी स्तरों पर इस रिपोर्ट में 10 वर्ष के लिए क्रियान्विति योजना निर्धारित की गई है, ताकि इस काल में देश अपने-अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों का ढांचा वैश्विक साझेदारों के सहयोग से खड़ा कर सकें।

विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट, 2005

प्रत्येक माता और शिशु को ध्यान में रखा जाए

इस रिपोर्ट का कहना है कि इस वर्ष करीब 1 करोड़ 10 लाख 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे मौत के मुंह में उन कारणों की वजह से चले जायेंगे जिनको बड़े स्तर पर रोका जा सकता है। इनमें से 40 लाख शिशु अपनी जिन्दगी का पहला महीना भी नहीं निकाल पायेंगे। इसी दौरान 5 लाख से अधिक महिलाएं गर्भावस्था के समय, बच्चा जनने के समय या बच्चे के जन्म के कुछ समय बाद मौत के मुंह में चली जायेंगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में इस मृत्यु की घटना को कम करना बड़े स्तर पर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रत्येक माता को गर्भावस्था से बच्चा होने तक, बच्चा जनने के बाद एवं शिशु अवस्था तक स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने का अधिकार हो।

रोम घोषणा–विश्व खाद्य सुरक्षा के सम्बन्ध में

* हमें ऐसी राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों के लिए समर्थ होना सुनिश्चित करना पड़ेगा ताकि गरीबी को उखाड़ फेंकने तथा वहनीय शांति कायम करने के लिए सर्वोत्तम वातावरण निर्मित किया जा सके तथा जो स्त्री और पुरुष की पूर्ण व समान भागीदारी पर आधारित हो, यह सभी के लिए टिकाऊ खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में सबसे अधिक सहायक रहेगा।

* हम उन नीतियों को लागू करेंगे जिनका उद्देश्य गरीबी एवं असमानता हटाने तथा सभी को हर समय पर्याप्त समुचित पोषणीय तथा सुरक्षित आहार और उसकी प्रभावी उपयोगिता के सम्बन्ध में भौतिक व आर्थिक प्राप्ति में सुधार किया जा सके।

* उच्च और निम्न क्षमता वाले क्षेत्रों में आहार, खेती, मत्स्य, जंगलात तथा ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में भागीदारी एवं टिकाऊ नीतियों और कार्यवाहियों को जारी रखेंगे जो घरों, राष्ट्र, क्षेत्र एवं वैश्विक स्तर पर समुचित तथा भरोसेमंद खाद्य आपूर्ति एवं पीड़ादायक जीवाणुओं, सूखा व रेगिस्तानीकरण से बचाने के लिए आवश्यक है। इसमें ध्यान रखा जायेगा कि कृषि का चरित्र बहुआयामी है।

* निष्पक्ष और बाजार आधारित विश्व व्यापार व्यवस्था के जरिए आहार, कृषि व्यापार एवं सम्पूर्ण व्यापार नीतियों को सुनिश्चित तौर पर लागू करने का प्रयास करेंगे जो खाद्य सुरक्षा को प्रोत्साहित करने में सहायक होगा।

* हम प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपातकालीन स्थितियों को रोकने के लिए तथा अल्पकालीन व अपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार रहने का इस तरह से प्रयत्न करेंगे कि क्षतिपूर्ति, पुनर्वास, विकास एवं भविष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने की क्षमता को प्रोत्साहन मिल सके।

* उच्च व निम्न क्षमता वाले क्षेत्रों में खाद्य, कृषि, मत्स्य एवं जंगलात व्यवस्था तथा ग्राम विकास के टिकाऊपन एवं

मानव संसाधन को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक धन राशि तथा सार्वजनिक एवं निजी निवेश को उपयोग में लेने को बढ़ावा देंगे।

* हम इस कार्य योजना को सभी स्तरों पर अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग से लागू करेंगे, संचालन करेंगे और इसे जारी रखेंगे।

हम विश्व खाद्य सम्मेलन की कार्य योजना को लागू करने के लिए समर्थन देने एवं क्रियान्विति करने की प्रतिज्ञा करते हैं। (रोम, 13 नवम्बर, 1996)

उपर्युक्त वर्णित सम्मेलनों की वास्तविक स्थिति यह है–मानव समुदाय को वे कहां ले गये हैं यह संयुक्त राष्ट्र अन्तरसरकारी मौसम परिवर्तन पैनल (यूएनआईपीसीसी) की ताजा रिपोर्ट में देखा जा सकता है।

III

संयुक्त राष्ट्र अन्तरसरकारी पैनल की मौसम परिवर्तन पर रिपोर्ट

जैसा कि पर्यावरण के संदर्भ में, विश्व वैज्ञानिक समुदाय (यू एन आई पी सी सी) ने सम्पूर्ण मानव जात, इसके प्रशासक और शासक मण्डली को सर्वसम्मति से अभी सन् 2007 में चेतावनी दी है कि यदि अभी पैदा हो रही ग्रीन हाउस गैसों के स्तर को सन् 2050 तक 50% तक घटाया नहीं गया तो 21वीं शताब्दी के अन्त तक हमारे ग्रह पृथ्वी पर से सभी प्रकार के जैव-जीवन के समाप्ति की पूर्ण संभावना है।

यू एन आई पी सी सी की सारांश रिपोर्ट

मौसम परिवर्तन ने 21वीं सदी के मानव विकास चुनौती को निश्चित कर दिया है। इस चुनौती के जवाब में असफलता का अर्थ मानव समुदाय और हमारे ग्रह पृथ्वी के सम्पूर्ण जैव-जीवन को खतरे में डालना होगा। सबसे गरीब देश और सर्वोच्च असुरक्षित नागरिक सर्वप्रथम कष्ट से पीड़ित होंगे और अत्यन्त विध्वंसकारी हादसों के शिकार बनेंगे। हालांकि उन्होंने समस्या में बहुत ही कम योगदान किया है। भविष्य को देखते हुए, कोई भी देश–सम्पन्न या शक्तिशाली–वैश्विक उष्माकरण के प्रभाव से बच नहीं सकेगा।

आई पी सी सी की सारांश रिपोर्ट दर्शाती है कि मौसम परिवर्तन भविष्य का एकमात्र दृश्य नहीं है। सूखा, बाढ़ और तूफानों में बढ़ोतरी पहले से ही अवसर को खतम कर रही है तथा खतरे को मजबूती दे रही है। इस बीच अब बहुत सारे वैज्ञानिक सबूत है कि विश्व ऐसे बिन्दु की ओर बढ़ रहा है जहां से पारिस्थिकी विध्वंस से पीछे हटना असंभव बन जायेगा। जैसाकि सामान्यतया मौसम परिवर्तन के बिन्दु स्पष्ट दिशा में है, हमारे जीवन में मानव विकास अभूतपूर्व उलटाव में है, हमारे बच्चे और उनके बच्चे गम्भीर खतरे में है।

अभी भी मौसम परिवर्तन के प्रभाव को टालने का अवसर है, लेकिन यह अवसर समाप्त होने जा रहा है, दुनिया के पास मामले को बदलने के लिए एक दशक से कम समय है। आने वाले समय में कार्यवाही की जाती है–या नहीं, मानव विकास का भविष्य इस पर भारी निर्भर करेगा। इस पर काम करने के लिए विश्व के पास न तो वित्तीय कमी है न ही तकनीकी क्षमता की कमी। कमी है तो मानव मजबूती की और सामूहिक हित की संवेदना की।

जैसा कि आई पी सी सी की सारांश रिपोर्ट तर्क करती है कि मौसम परिवर्तन कई स्तर पर चुनौतियां प्रस्तुत करता है। बंटा हुआ लेकिन पारिस्थिकी रूप से अन्तरनिर्भर विश्व यह सभी लोगों को चुनौती देता है कि हम कैसे एक ऐसा वातावरण बनाए कि हम साझे रूप से पृथ्वी ग्रह को काम में ले सकते हैं। यह राजनीतिक नेताओं और अमीर देशों में लोगों को चुनौती देता है कि समस्या के प्रति अपनी ऐतिहासिक जिम्मेवारी समझे और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में शीघ्र कटौती तथा

प्रभावी पहल करे। इन सबसे ऊपर यह सम्पूर्ण मानव समुदाय को साझी मान्यताओं और साझे दृष्टिकोण पर आधारित पक्का और मजबूत सामूहिक कार्य के उत्तरदायित्व लेने की चुनौती देता है।

घातक चुनौती मात्र 250 वर्षों पहले से ही पैदा होनी शुरू हुई

मौसम परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अन्तर सरकारी पेनल ने साफ बताया है कि 300 साल पहले ग्रह पृथ्वी प्रदूषण मुक्त था। सन् 1750 में प्रदूषण प्रकट होना शुरू हुआ। विशेषज्ञों की रिपोर्टें इंगित करती है कि ग्रीन हाउस गैसों (कार्बनडाई आक्साईड, मिथेन और नाइट्रो-ऑक्साईड) का संकेन्द्रण मुख्यत: जैवाष्म ईंधन के उपयोग से कार्बन डाई ऑक्साइड बढ़ी, मिथेन और नाइट्रो-आक्साइड कृषि के कारण बढ़ी थी। खास तौर पर कार्बन डाई आक्साईड का सकेन्द्रण 1750 में 280 पी पी एम (प्रति दस लाख) से 2005 में 379 पी पी एम की बढोतरी साढे छ: लाख वर्षों में (180 पी पी एम से 300 पी पी एम) की बढोतरी से बहुत ही ज्यादा है।

आधुनिक विज्ञान के अनुसार आई पी सी सी द्वारा अनुमानित गैसों का सबसे कम स्तर पर स्थिर होने का दृश्य एक दीर्घकालीन नीति के तहत यह है कि अगले 10-15 वर्षों में उत्सर्जन अपने शिखर पर होगा जब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 50% की कटौती जो 2050 तक सन् 2000 के स्तर पर स्थिर कर देगी जो वातावरण में लगभग 450 पी पी एम कार्बनडाईआक्साईड के बराबर होगी तथा इससे सम्बन्धित तापक्रम में वृद्धि 2-2.4 डिग्री सेंटीग्रेड होगी।

IV

भविष्य या आने वाली घअनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रकृति-मानव केन्द्रित दृष्टि

(1) प्रकृति-मानव केन्द्रित दृष्टि–प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन की दृष्टि भविष्य या आने वाली घटनाओं को पहले से ही जान लेना या उसके लिए तैयार रहना है।

प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का मानना है कि मानव जाति का भविष्य भारी चुनौतीपूर्ण है। सन् 2050 पर निगाह डालें तो यह बताता है कि हमें 5 घातक चुनौतियों से समाना होगा।

(क) पहली चुनौती वैश्विक उष्माकरण (ग्लोबल वार्मिंग) की है, जो मानव समाज के लिए सबसे ज्यादा घातक है–इससे मानव समाज सहित सम्पूर्ण जैव-जगत हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगा।

(ख) दूसरी चुनौती बढ़ती जनसंख्या की है जो 9.5 अरब से ज्यादा हो जायेगी जबकि हमारे ग्रह पृथ्वी की क्षमता 8 अरब जनसंख्या को वहन करने की है।

(ग) तीसरी चुनौती बदलते हुए पर्यावरण और मानवीय कारकों के कारण कृषि संकट की है। कृषि जुताई क्षेत्र का निरन्तर घटते जाना और कृषि के सभी घटकों में बिगाड़ होना।

(घ) चौथी चुनौती पीने के साफ पानी की उपलब्धता में कमी की है, इससे मानव स्वास्थ्य को संकट पैदा हो रहा है।

(ड़) पांचवीं चुनौती घातक और असाध्य बीमारियों के फैलाव की है।

(2) इन चुनौतियों का कारण क्या है? इसका कारण चल रही व्यवस्था है जो पूंजी आधारित, बाजार निर्देशित तथा व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ की दिशा लिए हुए है और जिनके मुखिया अपार दौलतमंद बहुत ही भ्रष्ट राजनीतिज्ञ है।

(3) तब हमारा काम क्या है? हमारा काम चल रही व्यवस्था, इसके पूंजी के आधार, बाजार की प्राथमिकता और व्यक्तिगत या निजी स्वार्थ की दिशा के खिलाफ लोगों को संगठित करना है।

(4) इस व्यवस्था का हमारा विकल्प क्या है? इसका विकल्प प्रकृति-मानव केन्द्रित व्यवस्था कायम करना है जो

निम्नलिखित सामाजिक तौर पर न्यायिक सिद्धान्तों पर आधारित है।

V

प्रकृति-मानव केन्द्रित फौरी कार्यक्रम

प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आंदोलन (एन एच सी पी एम) का मानना है कि चहुंमुखी खतरनाक पर्यावरणीय-मानवीय वैश्विक संकट के मद्देनजर दुनिया को एक ऐसे फौरी एजेंडा की जरूरत है, जो मौजूदा जमीनी हकीकतों के अनुरूप हो।

दुनिया की पहली जमीनी हकीकत धरती पर सभी जैव घटनाक्रमों के लिए आबोहवा संबंधी परिवर्तन, जिंदगी या मौत की चुनौती होना है।

इस मामले में स्वाभाविक तौर पर समस्या यह है कि आबोहवा को हुई क्षति को दुरुस्त करने का काम कौन करे। आबोहवा संबंधी परिवर्तन के संकट का जनक चूंकि कारपोरेट क्षेत्र है और सभी प्रमुख कारपोरेट ताकतें चूंकि अतीत में हुए पर्यावरण संबंधी परिवर्तनों के प्रति उचित रुख अपनाने में अभी तक नाकाम रही हैं इसलिए ज्यादा उचित यही रहेगा कि आबोहवा को दुरुस्त करने का काम संयुक्त राष्ट्र महासभा के हवाले किया जाए, सुरक्षा परिषद या जी-8 समूह या बड़े कारपोरेट कारोबारी हलकों के नहीं। तीनों पर कारपोरेट निहित स्वार्थों का कब्जा है, जो ग्लोबल वार्मिंग अथवा आबोहवा संबंधी परिवर्तनों के संकट के असली जनक हैं। महासभा में फैसले बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं, इसलिए इसमें महाशक्तियों अथवा धनी देशों के प्रभुत्व की कम संभावना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रत्येक बैठक अपने सदस्यों में से अपना सभापति चुनेगी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव महासभा के प्रवक्ता के रूप में काम करेंगे।

दुनिया की दूसरी जमीनी हकीकत, दुनिया के विभिन्न देशों में तनाव के विभिन्न बिन्दुओं का मौजूद होना है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा को निम्न कदम उठाने चाहिए।

दुनिया के सभी देशों के बीच शांति एवं मित्रता की ऐसी संधि कराना जिसमें यह घोषणा हो कि वे अपने बीच छोटे या बड़े सभी झगड़ों का समाधान शांतिपूर्ण तरीकों से करेंगे।

दुनिया की तीसरी जमीनी हकीकत दुनिया को पेश आ रहे मुद्दों को लेकर दुनिया के विभिन्न देशों खासकर बड़ी ताकतों के बीच विभिन्न विभाजक और अलग-अलग रुखों और नजरियों का होना है।

इस मामले में काम, सभी विवादों का शांतिपूर्ण ढंग से समाधान करना है ताकि दुनिया में पुख्ता शांति स्थापित हो सके। वजह यह है कि विश्व शांति, आबोहवा संबंधी परिवर्तनों की चुनौती से निबटने के लिए मूल आवश्यकता है।

आगे, देशों को इस बात पर मनाने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए कि वे शांति एवं मित्रता पर आधारित विदेश नीति पर चलें।

इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा को कुछ पग उठाकर दुनिया में पुख्ता शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये हैं–दुनिया में सभी विवादों खासकर जम्मू-कश्मीर, फिलीस्तीन, श्रीलंका, डायफोर, इत्यादि का शांतिपूर्ण समाधान। जम्मू-कश्मीर समस्या के न्यायपूर्ण समाधान की स्थिति में इस इलाके की रक्षा, विदेशी मामलों और मुद्रा संबंधी समस्याओं के काम की जिम्मेदारी एक संयुक्त भारत-पाक सह स्वामित्व को दी जाए। बाकी सभी मामलों में पाकिस्तान प्रशासन वाले जम्मू-कश्मीर समेत जम्मू-कश्मीर के विभिन्न सांस्कृतिक तथा भाषाई क्षेत्रों का मुक्कमल स्वशासन होना चाहिए। फिलीस्तीन, डायफोर, श्रीलंका इत्यादि के मामले में भी इसी प्रकार की न्यायपूर्ण व्यवस्था की जाए।

दुनिया की चौथी जमीनी हकीकत परमाणु शक्तियों के पास परमाणु हथियारों का विशाल भंडार होना है।

इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा को मौजूदा परमाणु शक्तियों से यह तकाजा करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग की जिन्दगी या मौत की चुनौती को देखते हुए उन्हें सभी परमाणु हथियारों के भंडार और जनसंहार के अन्य खतरनाक हथियारों को तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। और भविष्य में उन्हें जनसंहार का कोई भी हथियार न बनाने का वादा करना चाहिए।

दुनिया की पांचवीं जमीनी हकीकत, हर देश में ऐसी ताकतवर सेना की बड़े पैमाने पर मौजूदगी है जिसकी आज की दुनिया में कोई भूमिका नहीं है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा को दुनिया में देशों के बीच सभी विवादों का समाधान छह महीने की अवधि के भीतर करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यह कार्य पूरा करने के बाद महासभा को सभी देशों से कहना चाहिए कि वे अपने सैन्य बजटों पर खर्च बन्द कर दें।

और सभी देशों को अपना पचास प्रतिशत रक्षा खर्च दो साल के भीतर और अगला 50 प्रतिशत पाँच वर्ष के भीतर बन्द कर देना चाहिए।

भंग सेना के सभी जवानों को उन्हीं वेतनमानों पर समान नौकरियां प्रदान की जानी चाहिए जो उन्हें रक्षा विभाग में पहले प्राप्त थी।

दुनिया की छठी जमीनी हकीकत, हर देश में राष्ट्रीय विकास का अपना मॉडल होना है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र महासभा को एक उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त राष्ट्र सतत विकास परिषद का गठन करना चाहिए तो एक तरफ राष्ट्रीय विकास के सभी मॉडलों का एकीकरण करके ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करने और पर्यावरण सम्बन्धी संसाधनों को संरक्षित रखने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और दूसरी तरफ मानवीय संसाधनों के विकास के लिए वैश्विक अथॉर्टी के रूप मे काम करे। परिषद को पर्यावरण सम्बन्धी और मानवीय उन्नति के सम्बन्ध में मूलभूत अन्तरराष्ट्रीय सुधारों के नियम बनाने चाहिए। परिषद के लिए वित्त का प्रबन्ध विश्व व्यापार, तेल, कोयला, उपग्रह-संचार, विमानयात्रा, अंटार्टिका-खनन, समुद्र तल के खनन, सामुद्रिक परिवहन इत्यादि सरीखे वैश्विक कराधान से होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने और सदस्य देशों के बीच उक्त वैश्विक राजस्व के वितरण के लिए ऐसी योजना बनायेगी जिसमें न्यूनतम विकसित देशों को विशेष रियायत दी जाएगी।

दुनिया की सातवीं जमीनी हकीकत, विकसित और अल्प विकसित देशों के बीच पक्षपाती व्यापार का मौजूद होना है। इस मामले में विश्व व्यापार संगठन को ऐसे केन्द्र के रूप में काम करना चाहिए जो यह देखे कि अमीर और गरीब देशों के बीच व्यापार न्यायपूर्ण आधार पर हो।

दुनिया की आठवीं जमीनी हकीकत, कम विकसित देशों की वित्तीय जरूरत से सम्बन्धित है। इस मामले में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को चौकस रहना चाहिए कि विभिन्न प्रकार के देशों के बीच वित्त का न्यायोचित वितरण हो।

दुनिया की नवीं जमीनी हकीकत, दुनिया के विभिन्न भागों में उत्पन्न हो रहा जल संकट है। इस मामले में संयुक्त राष्ट्र को एक नये विश्व जल आयोग का गठन करना चाहिए जो पानी की कमी वाले विभिन्न इलाकों में लोगों को जरूरी न्यूनतम पानी की आपूर्ति का प्रबंध करे।

दुनिया की दसवीं जमीनी हकीकत यह है कि घटते खाद्य उत्पादन की संभावना को देखते हुए संयुक्त राष्ट को एक ऐसी खाद्य नीति बनाने के लिए खाद्य एवं कृषि संगठन से अनुरोध करना चाहिए जिनके अन्तर्गत खाद्यान्न की कमी वाले इलाकों में खाद्य वस्तुएँ मुहैया करवाने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए जाएं।

दुनिया की ग्यारहवीं जमीनी हकीकत, दुनिया के लोगों की खाद्य जरूरतें पूरी करने के लिए कृषि में सुधार और उसे आधुनिक बनाने की है। इस मामले में विभिन्न देशों में समस्त कृषक समुदाय को प्रेरित किया जाए कि वह कृषि को सहकारी आधार पर संगठित करे।

दुनिया की बारहवीं जमीनी हकीकत, विभिन्न देशों खासकर अल्प विकसित देशों में गरीबी में वृद्धि होना है। इस मामले में गरीबी की समस्या से निपटने के लिए प्राथमिकता के तौर पर व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है।

दुनिया की तेरहवीं जमीनी हकीकत यह है कि सभी देशों को अपराध, भ्रष्टाचार जैसी बढ़ रही सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन करने के अलावा साफ-सफाई, आवास, वृद्धों की सुरक्षा इत्यादि पर न्यायोचित ध्यान देना चाहिए।

दुनिया की चौदहवीं जमीनी हकीकत, दुनिया के लगभग सभी देशों में मानवाधिकार उल्लंघनों के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की है।

दुनिया की पन्द्रहवीं जमीनी हकीकत यह है कि शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य छात्रों में मानवीय मूल्यों के साथ-साथ पर्यावरण सम्बन्धी मूल्य विकसित करना होना चाहिए, न कि उनमें व्यक्तिपूजा की भावना का विकास करना, जैसा कि आज हो रहा है।

दुनिया की सोलहवीं जमीनी हकीकत, मानवीय स्वास्थ्य की बिगड़ती दशा है। इस मामले में उचित यह है कि सभी देश मानव स्वास्थ्य को मूल अधिकार के तौर पर मान्यता दें।

दुनिया की सतरहवीं जमीनी हकीकत धार्मिक कट्टरवाद अथवा आतंकवाद से खतरे का मौजूद होना है, जिसका मुकाबला हमारे विचार से सैन्य तरीकों से नहीं बल्कि मानवीय तथा पर्यावरण से जुड़े मूल्यों से किया जाना चाहिए।

दुनिया की अठारहवीं जमीनी हकीकत यह है कि बेरोजगारी की समस्या हर क्षेत्र–चाहे विकसित हो या अल्प विकसित–में बढ़ रही है। अपेक्षतया उच्च विकास दरों वाले देशों तक में रोजगार सृजन की धीमी गति से ऐसे इलाके में पच्चास करोड़ बेरोजगार या आंशिक बेरोजगार पैदा किए हैं जहाँ कुल मिलाकर 1.7 अरब श्रमिक हैं। एशियाई विकास बैंक के अध्ययन का आकलन है कि 1980 वाले दशक में चीन में 1% रोजगार उत्पन्न करने के लिए 3% विकास दर की जरूरत पड़ी जबकि अगले दशक में वैसा ही परिणाम पाने के लिए 8% विकास दर की जरूरत हुई। इसका मतलब यह है कि बिगड़ते पर्यावरण के विशाल क्षेत्र में रोजगार के नए तरीके तलाशे जाने चाहिए।

दुनिया की उन्नीसवीं जमीनी हकीकत बढ़ती विश्व जनसंख्या का लगातार बने रहना है, जो आबोहवा सम्बन्धी परिवर्तनों की चुनौती जितनी ही खतरनाक है। विशेषज्ञ रिपोर्टों के अनुसार जनसंख्या की मौजूदा विकास दर का परिणाम यह होगा कि सन् 2050 तक दुनिया के समस्त भू-भाग पर 9.2 अरब लोगों को रहना पड़ेगा। इसका समाधान एक ऐसा तर्कसंगत और न्यायोचित समाज स्थापित करने में निहित है जो सभी को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बुढ़ापे या किसी अन्य असुरक्षा की स्थिति में स्वजनों को गारंटी के तौर पर प्रेरणादायी तत्व न माने।

अंतिम लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण जमीनी हकीकत यह है कि हमारे ग्रह के लोग इस ग्रह में परिवर्तन लाने और इस धरती पर जैव प्रणाली को बचाने वाली एकमात्र शक्ति एवं एकमात्र स्रोत हैं। और लोग सकारात्मक भूमिका तभी निभा सकते हैं जब उन्हें एक स्पष्ट, उचित, न्यायपूर्ण और तर्कसंगत मॉडल के आधार पर समुचित तरीके से संगठित किया जाय। ऐसा वांछित मॉडल हमारे विचार में एन एच सी पी एम के एजेंडा में पाया जा सकता है, जो संक्षेप में निम्नलिखित है–

पहला, समाज में सबसे महत्त्वपूर्ण चीज लोग एवं प्राकृतिक संसाधन हैं, इसके अलावा कोई भी चीज सबसे महत्त्वपूर्ण नहीं है। जबकि कारपोरेट पूँजीवाद यह झूठी धारणा रखता है कि समाज में सबसे मूल्यवान वस्तु केवल पूँजी है।

दूसरा, सबसे पहले यह आवश्यक है कि हर समय और हर जगह वहनीय पर्यावरण (यानि हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव-विविधता आदि) के मूलभूत मानवीय लक्ष्य को दृढ़तापूर्वक थामा जाए। तीसरा, हमारा अगला सिद्धान्त यह है कि लोगों का चहुँमुखी संवैधानिक सशक्तिकरण किया जाए।

(1) आर्थिक सशक्तिकरण : स्वच्छ हवा, शुद्ध पीने का पानी, पोष्टिक भोजन, मकान, वस्त्र तथा मुफ्त चिकित्सा सुविधा एवं शिक्षा आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक को मूल अधिकार प्रदान करते हुए सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करके लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण किया जाए।

मुट्ठी भर अमीर श्रेणी तथा विशाल बहुमत वाली गरीब श्रेणी के बीच आये भयंकर विभाजन के बीच आर्थिक सामंजस्य लाने के लिए 1:5 आय अन्तर के आधार पर निष्पक्ष समानता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(2) राजनीतिक सशक्तिकरण : राजनीतिक प्रक्रिया पर लोगों का नेतृत्व होना चाहिए तथा समर्पित सामाजिक कार्यकर्ताओं या उनके मंचों द्वारा संचालित की जानी चाहिए। चुनाव सभी प्रकार से स्वतन्त्र हो जहाँ हर एक को चुनाव प्रक्रिया में खड़े होने व वोट देने का अधिकार हो।

चुनाव में प्रत्येक व्यक्तिगत उम्मीदवार के लिए राज्य की ओर से धन खर्च करने के नियम को लागू करके भ्रष्ट एवं धन व सत्ता लोभी राजनीतिक दलों के राज्य सत्ता के एकाधिकार को समाप्त करना चाहिए।

विकास के लिए दिये जाने वाला सारा धन चुनी हुई जन विकास समितियों (ग्राम सभा सहित और उसके ऊपर कोई नहीं) के द्वारा खर्च किया जाना चाहिए, प्रत्येक लोकसभा सदस्य को 2 करोड़ रुपये तथा प्रत्येक विधान सभा सदस्य को लाखों रुपये अपने-अपने क्षेत्र में विकास पर खर्च करने के मौजूदा नियम को रद्द किया जाए।

यदि 1/5 मतदाता विधान सभा या लोकसभा सदस्य को वापिस बुलाने की लिखित माँग करते हैं तो यह अधिकार देकर लोगों को सशक्तिकरण किया जाना चाहिए। चुनाव लड़ने से पहले राजनीतिक दलों को लोगों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों में से अपना उम्मीदवार बनाना होगा। लोगों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवार वह माना जायेगा जो विधान सभा क्षेत्र में एक हजार मतदाताओं के हस्ताक्षरों तथा लोक सभा क्षेत्र में पाँच हजार मतदाताओं के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।

(3) सांस्कृतिक सशक्तिकरण : जीवन जीने के तरीके (जीवन शैली) से सम्बन्धित है, जिसमें लोगों के बीच बुनियादी मानवीय एवं पर्यावरणीय मूल्य समाहित होते हैं तथा तर्कसंगत मानवीय एवं पर्यावरणीय सोच, व्यवहार एवं संगठन को संवर्द्धित किया जाता है।

(4) महिला सशक्तिकरण : संसद, विधान सभा तथा प्रशासन, इसके साथ-साथ संगठित बड़े उद्योगों की नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला सशक्तिकरण किया जाए। धीरे-धीरे यह सिद्धान्त एक नियम बन जाना चाहिए जो सभी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में लागू हो।

(5) मजदूर सशक्तिकरण : संगठित क्षेत्र में, सभी किस्म के बड़े उद्योगों, संस्थाओं, परियोजनाओं एवं फैक्ट्रियों के प्रबंध करने वाले बोर्ड में एक तिहाई प्रतिनिधित्व मजदूरों को दिया जाए। ये एक तिहाई प्रतिनिधि मजदूरों के संगठनों के एकल मजदूर फ्रंट द्वारा चुनकर भेजे जाए। छोटे और मध्यम उद्योगों में सम्बन्धित मजदूरों से चुने गये प्रतिनिधियों का मंच प्रत्येक सम्बन्धित प्रबन्धमण्डल में सलाहकार बोर्ड की हैसियत रखेगा।

(6) असंगठित मजदूरों का सशक्तिकरण : फुटकर क्षेत्र में, लघु स्तर के निजी व्यापार में लगे सभी मजदूरों को सभी जगह (यानि, शहर, कस्बे व ग्रामीण इलाकों में) युनियनों में संगठित किया जाना चाहिए और उन्हें कम ब्याज पर ऋण दिया जाए, मुक्त बाजार की सभी तरह की सुविधाएं मुहैया करवाई जाए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मुफ्त

वाहन (ट्रालर) उपलब्ध करवाये जाएं या बड़े शहरों के बाजारों में किराया मुक्त छोटी दुकानें मुहैया करवाई जाएं।

(7) किसानों का सशक्तिकरण : ग्रामीण क्षेत्र में, समस्त किसानों–चाहे वे धनी किसान हों या भूमिहीन किसान हों– को राज्य की मूल नीति के रूप में सहकारी खेती के आधार पर संगठित किया जाए। ऐसी प्रत्येक सहकारी समिति को अपना बाजार तन्त्र विकसित करने के लिए आवश्यक सरकारी सहायता मुहैया करवाई जाए, जरूरी कृषि निवेश सामग्री सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जाए तथा इसकी ऋण व्यवस्था सहकारी ऋण एजेंसियों से ऋण प्राप्त कर निर्मित की जाए।

(8) जीवन के हर पहलू में न्याय, समानता और निष्पक्षता के मानवीय मूलभूत लक्ष्य को संवर्द्धित किया जाए।

(9) यह सभी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के जनवादीकरण की वकालत करता है जिसके अनुसार कॉरपोरेट और राजकीय मोनोपोली नियन्त्रण समाप्त करते हुए एवं उन्हें साधारण शेयरधारकों (दो तिहाई प्रतिनिधित्व के साथ) तथा मजदूरों (एक तिहाई प्रतिनिधित्व के साथ) के द्वारा प्रबंधित किया जाए।

(10) वित्त प्रबंध : यह वित्त नियन्त्रण के लिए लोकतांत्रिक प्रबंध और नियन्त्रण को प्रस्तावित करता है। कॉरपोरेट क्षेत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर एकाधिकारी कॉरपोरेट प्रबंधन एवं नियन्त्रण का पक्षधर है तो राजकीय क्षेत्र नौकरशाही प्रबन्धन एवं नियन्त्रण का समर्थक है। जबकि प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास मॉडल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर स्थायी कॉरपोरेटरों की बजाए दो तिहाई आम शेयर धारकों से तथा एक तिहाई सदस्य मजदूरों से चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित निर्वाचित संयुक्त कमेटियों का प्रबंधन एवं नियन्त्रण का हामी है। प्रोमोटर्स शेयरधारकों द्वारा बाजार दर के मुकाबले सस्ती दर पर खरीदे जाने वाले प्रोमोटर्स शेयर्स को खत्म करके कॉरपोरेट प्रबंध की मिल्कियत को समाप्त किया जाए।

(11) न्यायशास्त्र को पर्यावरणीय एवं मानवीय संसाधनों के हितों की सुरक्षा और संरक्षण करने के मूलभूत उसूल पर आधारित किया जाए। उपर्युक्त उसूल की अवहेलना करने पर अपराधी के साथ उसे सुधारने के उद्देश्य से व्यवहार किया जाए जबकि अपराध की गंभीरता के अनुकूल मानवीय क्रूरता और मृत्यु दण्ड के अलावा इतिहास में विद्यमान सभी तरह के मानवीय रूपों वाले दण्ड के प्रावधानों को निर्धारित किया जाए।

VI

प्रकृति-मानव केन्द्रित अल्पकालीन कार्यक्रम

प्रकृति मानव केन्द्रित जन आंदोलन (एन एच सी पी एम) मानता है कि इस समय मानव समुदाय को एक बहुत खतरनाक पर्यावरणीय व मानवीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह चुनौती इतनी गंभीर है कि यदि इसका उत्तर वास्तविक कार्यक्रम से नहीं दिया जाता है तो इसके नतीजे में मानवीय हितों को बहुत ही खतरनाक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सर्वप्रथम ऐसी गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि मानव जाति के विभिन्न समुदायों के बीच में पूर्ण एकता कायम हो और एकता के पहलु की यह मांग है कि मानव समुदाय के अन्दर सभी प्रकार की टकराहटों को समाप्त किया जाये। मानव समुदाय की एकता कायम करने का एकमात्र रास्ता इसमें निहित है कि दुनिया में मौजूद सभी प्रकार के अन्याय को समाप्त किया जाए।

एन एच सी पी एम का यह दृष्टिकोण है कि न्यायसंगत दुनिया सभी प्रकार के सामाजिक न्याय की बुनियाद पर स्थापित करना निश्चित तौर पर संभव है। इसके लिए वर्तमान अन्यायपूर्ण कॉरपोरेट व्यवस्था को पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

वर्तमान अन्यायपूर्ण कॉरपोरेट व्यवस्था को एक न्यायपूर्ण आधार पर पुनर्गठित करने के लिए एन एच सी पी एम 15 बिन्दु जनता को सूचित करने, संगठित होने और काम करने के लिए प्रस्तुत करता है। इन 15 बिन्दुओं को उचित समझने

वाले लोगों से यह निवेदन करता है कि वे इन बिन्दुओं को मजबूती,तहेदिल और सुस्पष्टता से आम जनता के बीच प्रसारित करें।

जब कभी भी किसी इलाके अथवा देश में चुनाव हो रहे हों वहाँ एन एच सी पी एम मतदाताओं से अपील करता है कि वे इन 15 सिद्धांतों को उम्मीदवारों की सच्चाई जानने का मानदण्ड बनाए। मतदाता उम्मीदवारों से इन बिन्दुओं के समर्थन में हस्ताक्षर करने का अनुरोध करे। जो इन पर हस्ताक्षर करते हैं वे उम्मीदवार जनता के समर्थन के हकदार हैं और जो इन पर हस्ताक्षर करने से हिचकिचाते हैं वे न्यायिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण से परे हैं।

1. मानव जाति को हर समय और हर जगह पर्यावरण (यानि हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव-विविधता इत्यादि) को टिकाऊ रखने के मूलभूत कार्य को थामे रखना चाहिए।

2. जिन्दा रहने के मानवीय अधिकार को शुद्ध हवा, शुद्ध पीने का पानी, पौष्टिक भोजन, घर, कपड़ा तथा मुफ्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा के तौर पर सामाजिक सुरक्षा को मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित की जाए।

3. आय में 1:5 के फर्क (यानि आय में 5 गुना से अधिक अन्तर) पर आधारित उचित समानता का मानवीय अधिकार हो।

4. विश्व के तमाम झगड़ों का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए, विशेष तौर पर जम्मू-कश्मीर, फिलीस्तीन और श्रीलंका समस्याओं का। जम्मू-कश्मीर के न्यायपूर्वक समाधान के लिए इस राज्य के सुरक्षा और विदेश महकमों को भारत-पाक के ज्वाइंट कन्ट्रोल में दिया जाना चाहिए जबकि बाकी सभी मामलों (रक्षा और विदेश मामलों के अलावा) में जम्मू-कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए जबकि इसके 9 नस्ली क्षेत्रों को अधिक से अधिक स्वायत्तता होनी चाहिए। इसी प्रकार का न्यायपूर्ण समाधान इजराईल, फिलीस्तीन एवं जॉर्डन के सम्बन्ध में भी कारगर होगा।

5. संयुक्त राष्ट्र संघ को पुनर्गठित करने के लिए सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों की वीटो पॉवर समाप्त की जाए तथा किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए साधारण सभा के बहुमत के आधार पर फैसला लेने की सम्पूर्ण ताकत प्रदान की जाए।

6. विश्व-व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष को उनके मुक्त बाजार परिप्रेक्ष्य की बजाय प्रकृति मानव केन्द्रित परिप्रेक्ष्य के आधार पर तथा इनके विकास की रणनीति (जो पैसे और पैसे वालों की पक्षधर है), को प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास रणनीति जिसमें मानव और पर्यावरणीय पहलू उच्च प्राथमिकता रखते हैं तथा जिन्हें पर्यावरणीय टिकाऊपन, समता, उत्पादकता, जनता के नेतृत्व वाला जनवाद और चौतरफा पारदर्शिता के 5 उसूलों की बुनियाद पर पुनर्गठित किया जाए।

7. सभी सामाजिक संस्थानों में महिलाओं को 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व पक्का करके महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जाए।

8. खेती से सम्बन्धित सभी लोगों की जीविका की सुरक्षा सहकारी कृषि व्यवस्था से सुनिश्चित की जाए।

9. शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार के श्रमिकों का सशक्तिकरण हो, जिसके अन्तर्गत संस्थानों, परियोजनाओं और कारखानों के प्रबन्ध में उनका एक तिहाई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।

10. उद्योग और सेवा के सभी क्षेत्रों पर से उद्योगपतियों और सरकार का एकाधिकार नियंत्रण खत्म करके तथा आम शेयरधारकों को दो तिहाई और मजदूरों को प्रबंधन में एक तिहाई हिस्सा देकर उनका लोकतांत्रीकरण किया जाए।

11. वित्तीय प्रबन्ध : कॉरपोरेट क्षेत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर एकाधिकारी कॉरपोरेट प्रबन्धन एवं नियंत्रण का

पक्षधर है तो सरकारी क्षेत्र नौकरशाही प्रबन्धन एवं नियंत्रण का समर्थक है, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर इन स्थायी कॉरपोरेटरों की बजाए दो तिहाई सदस्य आम शेयर धारकों से तथा एक तिहाई सदस्य मजदूरों से चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित निर्वाचित संयुक्त कमेटियों का प्रबंधन एवं नियंत्रण स्थापित हो। प्रोमोटर्स (प्रोत्साहक) शेयरधारकों द्वारा बाजार दर के मुकाबले सस्ती दर पर खरीदे जाने वाले प्रोमोटर्स शेयर्स को खत्म करके कॉरपोरेट प्रबंध को समाप्त किया जाए।

12. प्रकृति मानव केन्द्रित राजनीतिक प्रकिया लोगों द्वारा निर्देशित होनी चाहिये तथा उसका संचालन समर्पित प्रकृति-मानव केन्द्रित सामाजिक कार्यकर्ताओं (या उनके मोर्चे) द्वारा किया जाना चाहिए। चुनाव पूर्णतया स्वतंत्र हो जिसमें प्रत्येक को उम्मीदवार और मतदाता दोनों रूपों में भाग लेने का समान अधिकार है।

13. दलगत ढांचे को महत्व दिए बिना व्यक्ति के रूप में उम्मीदवार को (जो विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 1000 और लोकसभा के सिलसिले में 5000 मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तुत करे) चुनाव में सरकारी खर्च का नियम लाकर राज्यसत्ता पर भ्रष्ट और सत्ता-धन के लोभी राजनीतिक दलों के एकाधिकार का खात्मा किया जाए। यदि मतदाता किसी भी विधानसभा या लोकसभा सदस्य को वापिस बुलाना चाहे तो 1/5 मतदाताओं द्वारा लिखित में मांग करने पर पुन: चुनाव करवाया जाय।

14. प्रत्येक सांसद को दो करोड़ और प्रत्येक विधायक को लाखों रुपये आवंटित करने का मौजूदा नियम हटाकर विकास से सम्बन्धित सारा धन निर्वाचित जन विकास समितियों (ग्राम सभा सहित और इसके ऊपर कोई नहीं हो) के जरिए खर्च हों।

15. न्यायशास्त्र को पर्यावरणीय एवं मानवीय संसाधनों के हितों की सुरक्षा और संरक्षण करने के मूलभूत उसूल पर आधारित किया जाए। उपर्युक्त उसूल की अवहेलना करने पर अपराधी के साथ उसे सुधारने के उद्देश्य से व्यवहार किया जाए जबकि अपराध की गंभीरता के अनुकूल मानवीय क्रूरता और मृत्यु दण्ड के अलावा इतिहास में विद्यमान सभी तरह के मानवीय रूपों वाले दण्ड के प्रावधानों को निर्धारित किया जाए।

VII
प्रकृति-मानव केन्द्रित दीर्घकालीन कार्यक्रम

प्रकृति-मानव केन्द्रित जन आन्दोलन का दृष्टिकोण है कि चल रहे घातक संकट का बुनियादी हल मौजूदा कारपोरेट पूँजीवादी व्यवस्था के स्थान पर प्रकृति-मानव केन्द्रित व्यवस्था लाने में निहित है, जिसका उद्देश्य, सिद्धान्त, तरीकाकार और संगठन दो उच्च प्राथमिकताएँ–यानि, पर्यावरण और मनुष्य–लिए हुए हैं और जो पाँच बुनियादी उसूलों–यानि, पर्यावरणीय संवर्द्धन, उचित समानता (यानि, प्रत्येक वंचित एवं जरूरतमंद व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा तथा अतर्कसंगत आय के अन्तर को 1:5 के आय का अन्तर स्थापित कर इसे तर्कसंगत बनाना), उत्पादकता (या वृद्धि दर), लोक नेतृत्व जनवाद (यानि, कारपोरेट पूँजीवादी समर्थित राजनीतिक पार्टियों एवं व्यापारिक घरानों की बनिस्पत लोगों का सशक्तिकरण करना) तथा चहुँमुखी पारदर्शिता–का पालन करता है। प्रकृति-मानव केन्द्रित व्यवस्था के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं–

1. मानव समाज के प्रकृति-मानव केन्द्रित मॉडल का मानना है कि मानव समाज में पर्यावरण और मानव जाति दोनों बहुत ही मूल्यवान घटनाक्रम हैं। यह दोनों इसकी सामाजिक पूँजी (सर्वोच्च वस्तु) है, इन दोनों (यानि, पर्यावरणीय-मानवीय संसाधन) में वृद्धि से विकास, सम्पन्नता एवं प्रगति होती है तथा सोचने, कहने, करने और संगठित होने के लिए यह निर्देशक सिद्धान्त का कार्य करता है।

2. यह हर समय और सब जगह पर्यावरण (यानि, हवा, पानी, जमीन, जंगल, जैव-विविधता इत्यादि) संवर्धन के

मूलभूत कार्य का मजबूती से समर्थन करता है।

3. यह प्रत्येक व्यक्ति के जैव-सामाजिक अस्तित्व के अधिकार को शुद्ध हवा, साफ पीने के पानी, पौष्टिक भोजन, घर, कपड़ा तथा मुफ्त स्वास्थ्य एवं शिक्षा के तौर पर सामाजिक सुरक्षा को मूल अधिकार के रूप में सुनिश्चित करने का समर्थक है।

4. यह आय में 1:5 के फर्क (यानि आय में अधिकतम 5 गुणा अन्तर) पर आधारित उचित समानता के मूलभूत मानवीय अधिकार का समर्थक है।

5. यह विश्व शान्ति का मजबूती से पक्षपोषण करता है और विश्व के सभी विवादों खासकरके जम्मू-कश्मीर, फिलीस्तीन और श्रीलंका इत्यादि के सीधे शांतिपूर्ण हल के मार्ग का समर्थक है। जम्मू-कश्मीर के न्यायपूर्ण समाधान के लिए इस राज्य के सुरक्षा एवं विदेश महकमों को भारत-पाक सहराज्य के संयुक्त नियन्त्रण में सौंपा जाना चाहिए जबकि बाकी सभी मामलों (रक्षा और विदेश मामलों के अलावा) में जम्मू-कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिये जबकि इसके नौ नश्ली क्षेत्रों में से प्रत्येक को अधिकतम संभव स्वायत्तता प्रदान की जाए। इसी प्रकार का न्यायपूर्ण समाधान इजराईल, फिलीस्तीन और जोर्डन के संबंध में भी कारगर होगा।

6. यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के वीटों पावर को समाप्त करते हुए विश्व व्यवस्था के पुनर्गठन करने एवं किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र की केन्द्रीय सभा में साधारण बहुमत के आधार पर फैसला लेने की सम्पूर्ण ताकत प्रदान करने की मांग करता है। कुछ समय दौरान, विश्व के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों के मतदान से निर्वाचित संविधान सभा द्वारा रचित संविधान के आधार पर संयुक्त राष्ट्र का पुनर्गठन किया जाए।

7. यह विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को उनके मुक्त बाजार परिप्रेक्ष्य की बजाए प्रकृति-मानव केन्द्रित परिप्रेक्ष्य के आधार पर पुनर्गठित करने तथा इनके विकास की रणनीति (जो पैसे और पैसे वालों की पक्षधर है) को प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास रणनीति बनाने की हिमायत करता है जिसमें मानवीय और पर्यावरणीय पहलु उच्च प्राथमिकता रखते हैं तथा जिन्हें पर्यावरणीय संवर्धन, उचित समानता, उत्पादकता, जनता के नेतृत्ववाला जनवाद और चौतरफा पारदर्शिता के पांच उसूलों की बुनियाद पर पुनर्गठित किया जाता है।

8. यह सभी सामाजिक संस्थानों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व पक्का करके महिलाओं का सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का समर्थक है।

9. यह खेती को सहकारिता के आधार पर सुसंगठित करने को प्रोत्साहित करता है तथा खेती से संबंधित सभी लोगों की जीविका को सुनिश्चित करने का समर्थक है।

10. यह श्रमिकों (शारीरिक और मानसिक दोनों) के सशक्तिकरण के लिए जोरदार आवाज उठाता है, जिसके अनुसार सभी संस्थानों, परियोजनाओं एवं कारखानों के प्रबंध में उनके (श्रमिकों के) एक तिहाई चुने हुए प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

11. यह सभी औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के विकेंद्रीकरण की वकालत करता है जिसके अनुसार कॉरपोरेट और राजकीय मोनोपोली नियन्त्रण समाप्त करते हुए एवं उन्हें साधारण शेयरधारकों (दो तिहाई प्रतिनिधित्व के साथ) तथा मजदूरों (एक तिहाई प्रतिनिधित्व के साथ) के द्वारा प्रबंधित किया जाए।

12. यह वित्त नियन्त्रण के लिए लोकतांत्रिक प्रबंध और नियन्त्रण को प्रस्तावित करता है। कॉरपोरेट क्षेत्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर एकाधिकारी कॉरपोरेट प्रबंधन एवं नियन्त्रण का पक्षधर है तो राजकीय क्षेत्र नौकरशाही प्रबन्धन

एवं नियन्त्रण का समर्थक है। जबकि प्रकृति-मानव केन्द्रित विकास मॉडल पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर स्थायी कॉरपोरेटरों की बजाए दो तिहाई आम शेयर धारकों से तथा एक तिहाई सदस्य मजदूरों से चुने हुए प्रतिनिधियों से गठित निर्वाचित संयुक्त कमेटियों का प्रबंधन एवं नियन्त्रण का हामी है। प्रोमोटर्स शेयरधारकों द्वारा बाजार दर के मुकाबले सस्ती दर पर खरीदे जाने वाले प्रोमोटर्स शेयर्स को खत्म करके कॉरपोरेट प्रबंध की मिल्कियत को समाप्त किया जाए।

13. यह प्रत्येक सांसद को 2 करोड़ और प्रत्येक विधायक को लाखों रुपये अपने चुनावी क्षेत्र के विकास खर्च के लिए आवंटित करने के मौजूदा नियम को हटाकर विकास से संबंधित सारा धन निर्वाचित जन विकास समितियों (ग्रामसभा सहित और इसके ऊपर कोई नहीं) के जरिए खर्च करने को प्रोत्साहित करती है।

14. यह प्रत्येक देश में प्रकृति-मानव केन्द्रित दृष्टिकोण के आधार पर कॉरपोरेट पूँजीवादी निर्देशित संविधान तथा न्यायशास्त्र को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव रखता है।

15. यह मानवीय एवं पर्यावरणीय संसाधनों के हितों की रक्षा एवं संवर्धन के मूलभूत सिद्धान्त का मजबूती से पक्षधर है। उपर्युक्त उसूल की किसी तरह से अवहेलना करने पर अपराधी को सुधारने के उद्देश्य से व्यवहार किया जाए जबकि अपराध की गंभीरता के अनुकूल दण्ड दिया जाए। दण्ड में मानवीय क्रूरता और मृत्युदण्ड के अलावा इतिहास में विद्यमान सभी तरह के मानवीय रूपों वाले दण्ड के प्रावधान शामिल हो सकते हैं ।

16. इसका पक्का विश्वास है कि मानव समाज की सभी संघटक प्रक्रियाओं–यानि, पर्यावरणीय, मानवीय और वैज्ञानिक तकनीकी–पर लोगों का नियंत्रण होना चाहिए और उन्हीं द्वारा संचालित होनी चाहिए।

17. यह गांव/वार्ड से राष्ट्रीय स्तर तक पाँच स्तरों पर सामाजिक जीवन के तीन पहलुओं–राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक–के प्रबन्ध की शक्ति लोगों को देकर उनके सशक्तिकरण (या जनता के नेतृत्व वाला शासन) को प्रस्तावित करता है।

18. लोगों के सशक्तिकरण की प्रक्रिया चुनाव के तरीके से तय की जाए जो पूर्णतया स्वतंत्र हो और जहाँ प्रत्येक को उम्मीदवार के तौर पर भागीदारी करने का अधिकार है तथा मतदाता के रूप में अपनी राय जाहिर करने का अधिकार है। यह दलगत ढांचे को महत्व दिये बिना व्यक्ति के रूप में उम्मीदवार को (जो विधानसभा चुनाव के सिलसिले में 1000 और लोकसभा चुनाव के सिलसिले में 5000 मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तुत करें) चुनाव में सरकारी खर्च का नियम लाकर राज्य सत्ता पर भ्रष्ट और सत्ता-धन के लोभी राजनीतिक दलों के राजकीय एकाधिकार का खात्मा करने का पक्षधर है। सम्बन्धित मतदाताओं को वापिस बुलाने का अधिकार हो जिसके तहत किसी सभा सदस्य के मतदाताओं का 1/5 भाग अगर लिखित में पुन: चुनाव की मांग इस आधार पर करें कि उपर्युक्त सदस्य अपने मतदाताओं का विश्वास खो चुका है।

19. राजनीतिक पहलू माँग करता है कि पाँचों स्तर (यानि, राष्ट्रीय, राज्य या क्षेत्रीय, जिला, ब्लॉक और गाँव) पर राजनीतिक सभा का गठन किया जाए जो लोकतान्त्रिक व्यवस्था पर कायम रहे तथा पूर्णतया लोकतान्त्रिक उसूलों, गतिविधियों और ढाँचे पर आधारित हो। ऐसा मॉडल निर्णय लेने में भी अधिकतम सम्भव लोक सशक्तिकरण के सिद्धान्त को लागू करना आवश्यक बना देता है।

20. आर्थिक पहलू की आवश्यकता है कि एक तर्कसंगत और वास्तविक आर्थिकता के लिए पाँचों स्तर पर विकास सभाएँ स्थापित की जाएं जिसकी धारणाएँ, कानून एवं नियम पुर्वोक्त दो उच्चस्थ प्राथमिकताओं (यानि, मानवजाति और पर्यावरण) तथा पाँच सिद्धान्तों (यानि, पर्यावरणीय संवर्धन, उचित समानता, उत्पादकता, जन-नेतृत्वकारी लोकतन्त्र

तथा चहुंमुखी पारदर्शिता) की रोशनी में बनाए जाएं। मनुष्य की जैव-सामाजिक प्रकृति के मद्देनजर एडम स्मिथ का 'निजी हित' आधारित बुनियादी आर्थिक सिद्धान्त तथा हर चीज का राज्य द्वारा राष्ट्रीयकरण करने के मार्क्सवादी बुनियादी आर्थिक सिद्धान्त, ये दोनों एक तरफा है। परन्तु, विडम्बना यह है कि दोनों मनुष्य और पर्यावरण विकास के सन्दर्भ की बजाए विकास, सम्पन्नता तथा प्रगति को धन वृद्धि के रूप में नापते हैं।

21. सांस्कृतिक पहलू की आवश्यकता है कि पाँचों स्तर पर सांस्कृतिक सभाएं स्थापित की जाएं।यह ऐसे जीने के तरीके (या जीवन शैली) की माँग करता है जो बुनियादी मानवीय एवं पर्यावरणीय मूल्यों से भरपूर हों तथा लोगों के बीच में तर्कसंगत मानवतावाद एवं पर्यावरणवादी चिन्तन, व्यवहार एवं संगठन को विकसित करता हो।

22. पाँचों स्तरों पर राजनीतिक, विकास और सांस्कृतिक सभाओं द्वारा बनाये गये कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने के लिए अपने-अपने राजनीतिक, विकास और सांस्कृतिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के आयोगों का चुनाव करना। राजनीतिक विशेषज्ञों का आयोग राजनीतिक मुद्दों, जैसे–कानून और व्यवस्था, अपराध रोकथाम, न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्ध रखे; विकास विशेषज्ञों का आयोग आर्थिक, वित्तीय मसलों, जैसे–विकास योजना, कृषि उद्योग, सेवाएं, वित्त और बजट को देखे और सांस्कृतिक विशेषज्ञों का आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, नैतिक मूल्यों एवं अन्य सांस्कृतिक विषय, जैसे–भाषा, संगीत, नृत्य, सिनेमा उद्योग आदि पर ध्यान दें।

23. प्रत्येक चुनी हुई संस्था अपने प्रभाव क्षेत्र में चाहे वह निचले स्तर की हो या ऊपर के स्तर की हो सम्प्रभुसत्ता सम्पन्न होगी। किसी भी समय दो चुनी हुई संस्थाओं या सार्वजनिक संस्थाओं के मध्य मतभेद उत्पन्न हो तो सम्बन्धित इकाइयाँ अपने-अपने प्रतिनिधि समूहों को नियुक्त करेंगी जो बातचीत के जरिए सम्बन्धित प्रश्न का हल निकालेंगी। यदि मामला आपस में तय हो जाता है तो वह फैसला मान्य होगा। यदि दोनों पक्ष साझे निर्णय पर सहमत नहीं होते तो मसला सम्बन्धित लोगों द्वारा जनमतसंग्रह से हल किया जाएगा।

24. इसका मानना है कि किसी भौगोलिक इकाई की आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न सम्बन्धित लोगों द्वारा ही देखा जाए। विभिन्न भौगोलिक इकाइयों की सीमा-सुरक्षा का मुद्दा सुरक्षा एजेन्सी द्वारा देखा जाए तथा यह सुरक्षा एजेन्सी सम्बन्धित लोगों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा स्वीकृत नियमों के अनुसार बनाई जाए।

25. समाज में प्रत्येक प्रदूषण फैलाने वाली तकनीक का संचालन यह नहीं होने देगी चाहे उस तकनीक में कितनी भी ज्यादा उत्पादक क्षमता हो।

VIII

सार रूप में

उपर्युक्त वर्णित प्रकृति-मानव केन्द्रित कार्यक्रम की गैर क्रियान्विति कहां ले जायेगी यह प्राकृतिक रहस्य के गर्भ में छुपी हुई है। (1.10.2008)